III test — Date:- ~~3/10~~ 02/04/18

Management EF-210

1.) Explain the various load schemes.

→ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्थाएँ एवं बैंक निम्न है-

(i) IFCI (Industrial finance Corporation of India) :- इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सीमित कम्पनियों, सार्वजनिक उद्यमों को की उत्पादन एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करना है। IFCI द्वारा की जा/दी जाएगी सुविधाएँ निम्न प्रकार है-

(a) Project finance

(b) Financial services

(c) Promotional services

(ii) (Industrial Credit and Investment Corporation of India) ICICI :- इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की निजी क्षेत्र की इकाईयों को सहायता प्रदान करना है।

ICICI द्वारा उद्योगों को निम्न सहायता दी जाती है-

(a) लम्बी व मध्यम अवधि के ऋण।

(b) सामान्य ऋण।

(c) अन्य स्रोतों के भुगतान की गारंटी देना।

(iii) (Industrial developement Bank of India) IDBI :- यह बैंक साधारणतया उन project की वित्तीय सहायता देने में प्राथमिकता देती है जो बड़े व क्रान्तिकारी है व जिनमें सामने व बड़ी धन राशि की आवश्यकता होती है।

(iv) (Small Industries developement Bank of India) SIDBI :- SIDBI की निम्न योजनाएँ प्रचलित है-

(a) Marketing संगठनों को ~~सही~~ सीधी सहायता प्रदान करना।

(b) कम अवधि तथा मध्यम अवधि के बिलों की डिस्काउंटिंग।
(c) Infrastructure के विकास के लिए सीधी सहायता प्रदान करना।

(V) (Export and Import Bank of India) EXIM :- EXIM बैंक द्वारा loan लेने की विभिन्न योजनाएँ हैं जिनका संबंध निम्न ग्रुप द्वारा है -

(a) Indian exporters
(b) Overseas buyers
(c) Overseas government
(d) Overseas financial institution
(e) International Bank

(VI) (National Bank for agriculture and Rural Development) NABARD :- नाबार्ड की योजनाओं के अनुसार स्वीकृत ऋणों के लिए पुनर्वित्त सुविधा नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाती है। इन ऋणों को लौटाने की अवधि 15 वर्ष तक हो सकती है।

(VII) Financial Schemes of NSIC :- राष्ट्रीय लघु उद्योग की वित्तीय सहायतार्थ योजनाएँ निम्न हैं-

(a) Supply of machines on hire-purchase basis
(b) Equipment leasing scheme

2.) Explain allotment of imported raw material :-
⇒ उद्योगों में उत्पाद के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। उद्योगों के लिए कई ऐसे आवश्यक कच्चे में माल होते हैं जिनको अन्य देशों से आयातित करना पड़ता है बड़े व मध्यम उद्योग कच्चे माल को अन्य देशों से आयात लाइसेंस लेकर आयात कर लेते हैं। लेकिन छोटे उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। वे अपनी आवश्यकता के अनुसार कच्चे माल का आयात नहीं कर पाते हैं। छोटे उद्योगों को कम मात्रा में कच्चा माल आयात नहीं कर सकते हैं। वे अपनी आवश्यकता

3.) Explain the different types of loans provided by different organisation to SSI.

⇒ SSI को विभिन्न बैंकें व वित्तीय संस्थाऐं उद्योगों के स्थापना हेतु भूमि, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरणों आदि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। यह ऋण प्रकार है –

(a) Normal term loan :- स्थाई परिसम्पत्तियों के लिए 50 लाख रूपये तक प्राइवेट / पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के लिए 30 लाख रू. तक एकल स्वामित्व / साझेदारी फर्मों के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

(b) Loan for Technocrats :- विशेष व्यावसायिक योग्यता वाले व्यक्तियों को उदार शर्तों पर बिना किसी मार्जिन एवं प्रतिभूति के 7 लाख रू. का ऋण।

(c) Single window scheme :- लघु तथा अति लघु क्षेत्र इकाइयों की स्थाई परिसम्पत्तियों तथा कार्यशील पूंजी दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।

(d) Composite term loan :- भवन निर्माण, उपकरणों और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु।

(e) Loan for quality control facility :- परीक्षण उपकरणों तथा गुणवत्ता नियंत्रण के उपायों के लिए लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि उनके उत्पाद बाजार में अच्छे प्रकार से स्वीकृत हो सकें।

(f) Assistance for Marketing Entrepreneurs :- लघु कुटीर तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादों के विपणन के लिए नए विक्रय केन्द्र स्थापित करने के लिए या विद्यमान स्थाई के विक्रय केन्द्रों के नवीनीकरण / विस्तार के लिए।

(g) National Equity fund :- लघु उद्योग क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों को equity सहायता सुगम ऋण के रूप में।

के अनुसार कच्चे माल को आयात नहीं कर पाते हैं। छोटे उद्योगों को कम मात्रा में कच्चा माल आयात करती है व इसे उद्योगों को आवंटित करती है। लघु उद्योग के लिए आवंटित किए जाने वाले उत्पाद निम्न हैं

Pesticides
Chemicals
Metal
विस्फोटक

ऊन
पैट्रोलियम उत्पाद
Electronic items

उत्पाद आवेदन :- विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के लिए उद्योग जिला उद्योग केन्द्र को आवेदन करना होता है आवेदन प्रपत्र में मुख्यत: निम्न बिन्दु होना आवश्यक है -

उद्योग का नाम व पता ----------------

पंजीकरण संख्या व दिनांक ----------------

उत्पादों के नाम ----------------

स्थापित यंत्र व संयंत्र का विवरण लागत सहित

उत्पादन प्रारंभ तिथि ----------------

मुख्य कच्चे माल के नाम ----------------

उत्पादन क्षमता ----------------

पिछले वर्षों का उत्पादन ----------------

पिछले वर्षों का विक्रय ---------------- (मात्रा व मूल्य)

कच्चा माल जिसके लिए आवेदन किया है कि पिछले वर्षों में खपत ----------------

पिछली आवंटन मात्रा ----------------

आवंटित मात्रा का उपयोग ----------------